विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री मुकुल यादव, मा० सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-08 का उत्तर :-

प्रश्न	उत्तर
8(क) क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-मैनपुरी की तहसील -घिरौर के राजस्व ग्राम-घिरौर खास, मुहम्मदपुर घिरौर व गोधना व तहसील कुरावली के राजस्व ग्राम कुरावती, सुजरई, गंगापुर, मुहम्मदपुर व कुवँरपुर नसरतपुर के विक्रय-विलेखों में आवास विकास के स्टाम्प किस शासनादेश के फलस्वरूप लिये जा रहे हैं?	1- नगर पंचायत घिरोर की उपविधि, सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित दिनांक 04 मई, 1996 के खण्ड-ख की धारा-3 के अन्तर्गत 02 प्रतिशत की दर से शुल्क देय है। नगर पंचायत घिरोर के अधिसूचित क्षेत्र में राजस्व ग्राम घिरोर व गोधना सम्मिलित है। राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर घिरोर का क्षेत्र नगर पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। 2- नगर पंचायत कुरावली की उपविधि सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित दिनांक 10 अप्रैल, 2002 के उपनियम-5 के अन्तर्गत 02 प्रतिशत की दर से शुल्क देय है। नगर पंचायत कुरावली के अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्राम-कुरावली, सुजरई, कुँवरपुर नसरतपुर, घनराजपुर, कुरहट (आंशिक) गंगापुर मोहम्मदपुर (आंशिक) सम्मिलित है। राजस्व ग्राम गंगापुर मोहम्मदपुर के आंशिक क्षेत्र में नगर पंचायत का मोहल्ला महेशानन्दनगर तथा राजस्व ग्राम-सुजरई का आबादी क्षेत्र (मौहल्ला मजरई पूर्वी व सुजरई पश्चिमी) स्थित है।
(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार
(ग) यदि नहीं, तों क्यों ?	प्रश्न ही नहीं उठता।

रवीन्द्र जायसवाल
राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग
उत्तर प्रदेश।